



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122021-231517
CG-DL-E-01122021-231517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]
No. 683]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्रहायण 10, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

सं. 37/2021-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 842(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में, -
(i) नियम 137 में, 30 नवंबर, 2021 से, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
(ii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में, -
(क) शीर्ष में, "या विवरण" शब्दों के पश्चात्, "या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3) में, “लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्दों के स्थान पर, “लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-1 और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर-2ख और प्ररुप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, “यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर”, शब्द और अंकों के पश्चात्, “संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पी ओ एस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/32/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 35/2021-केंद्रीय कर तारीख 24 सितम्बर, 2021, जो सा.का.नि. सं. 659(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2021

No. 37/2021—Central Tax

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, —

- (i) in rule 137, with effect from the 30th day of November 2021, for the words “four years”, the words “five years” shall be substituted.
- (ii) in **FORM GST DRC-03**, —
- (a) in the heading, after the words “or statement”, the words, letters and figures “or intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**” shall be inserted;
- (b) against item 3, in column (3), for the word and letters “Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)”, the words, letters, figures and brackets “Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**, Mismatch (Form GSTR-1 and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)” shall be substituted;
- (c) against item 5, in column (1), after the word and figures “within 30 days of its issue”, the words, letters, figures and brackets “, scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, others (specify)” shall be inserted;
- (d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

“Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												..”

[F. No. CBIC-20006/32/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 35/2021-Central Tax, dated the 24th September, 2021 *vide* number G.S.R. 659(E), dated the 24th September, 2021.